पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सं0–8–19/2020–एफ0सी0 दिनांक 09–10–2020 द्वारा निर्गत आपत्ति के क्र0सं0–8 उल्लिखित बिन्दु के क्रम में पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र सं0–8–110/2002–एफ0सी0 दिनांक 17–02–2003 द्वारा प्रदान की गयी विधिवत् स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किये जाने की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार दर्शित है :–

क्र0 सं0	शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या
01	प्रश्नगत वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	सम्बन्धित शर्त का अनुपाल किया जा रहा है।
02	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।	सम्बन्धित शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।
03	प्रयोक्ता एजेन्सी के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचाऐंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचायी जाती है अथवा कोई क्षति पहुंचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।	सम्बन्धित शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।
04	उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तबतक बनी रहेगी, जबतक की प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिएए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगा।	सम्बन्धित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
05	वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।	वन विभाग समय–समय पर प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करता रहा है।
06	सम्बन्धित वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के	सम्बन्धित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

	लिए वनों को हानि न पहुंचाऐं इसके लिए प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उन्हें ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य ईंधन सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।	
07	प्रश्नगत क्षेत्र में कम से कम पेड़ों का पातन वन विभाग की कड़ी देख–रेख में किया जायेगा तथा पातन किये जाने वाले पेड़ों का निस्तारण उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।	सम्बन्धित शर्त के अनुपालन में वर्णित परियोजना में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वृक्षों से परियोजना में बाधक हो रहे कम ही वृक्षों का पातन विभागीय निगरानी में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के माध्यम से कराया गया।
08	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्यालय की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	सम्बन्धित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।
09	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।	सम्बन्धित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।
10	सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा समय–समय पर परियोजना के कियान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा व यदि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अधिनिधियम का उल्लंघन किया जाता है, तो वे इस सम्बन्ध में भारत सरकार को सूचित करेंगे।	सम्बन्धित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
11	वन क्षेत्र के अन्दर किसी भी दशा में श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किये जायेंगे।	सम्बन्धित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
12	विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों के पुर्नवास हेतु वन भूमि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।	सम्बन्धित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।
13	प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रश्नगत क्षेत्र का सीमांकन फॉरवर्ड व बैकवर्ड वियरिंग लेकर चार फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा किया जायेगा व पिलरों पर पिलर संख्या भी अंकित की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन के क्रम में प्रश्नगत क्षेत्र के सीमांकन का कार्य के साथ ही सम्बन्धित सीमा स्तम्भों पर संख्या अंकित की गयी है।
14	हवाई अड्डा व हवाई पट्टी के निर्माण के दौरान भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये भू–गर्भीय सुझावों को दृष्टिगत रखा जायेगा।	सम्बन्धित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।
15	विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों का पुर्नवास राज्य सरकार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार किया जायेगा।	सम्बन्धित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।	कथित शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

<table>
<tr><td>17</td><td>प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात 140.00 है0 में क्षति पूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।</td><td>उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भुगतान किये गये रू0 52500000.00 की धनराशि से देहरादून वन प्रभाग द्वारा दुगने अवनत वन क्षेत्र यथा 140.00 है0 में निम्न विवरणानुसार देहरादून वन प्रभाग की विभिन्न राजि क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है :–
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>रेंज का नाम</th><th>कम्पार्टमेंट</th><th>कुल क्षेत्रफल (है0 में)</th></tr>
<tr><td>01</td><td>मल्हान</td><td>सहसरां 1बी</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>02</td><td>आसारोड़ी</td><td>आरकेडिया 2</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>03</td><td>झाझरा</td><td>डूंगा 2</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>04</td><td>ऋषिकेश</td><td>लालपानी 2</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td>बीरभद्र 2डी</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>06</td><td>बड़कोट</td><td>जाखन 1</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>07</td><td>लच्छीवाला</td><td>भानियावाला 2ब</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>08</td><td>लच्छीवाला</td><td>वनवाह 1</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>09</td><td>थानों</td><td>सौंग 4</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td>सौंग 3</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td>लम्बीरौ 39 बी</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td>विधालना</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">कुल योग –</td><td>140.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>18</td><td>प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रस्तावित कार्य के आस–पास की रिक्त पड़ी भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जायेगा।</td><td>सम्बन्धित शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित कार्य के आस–पास की रिक्त पड़ी भूमि में वर्ष 2012–13 में जौली–2 में 1000 वृक्ष व विधालना–1 में 650 वृक्षों कुल 1650 वृक्षों का रोपण कैम्पा परियोजना के अन्तर्गत मानक मद रोड़ साइड वृक्षारोपण के रूप में किया गया।</td></tr>
<tr><td>19</td><td>पर्यावरण सुरक्षा व सुधार की दृष्टि से भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लगायी गयी अन्य शर्त प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य होगी।</td><td>सम्बन्धित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।</td></tr>
</table>

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण,
देहरादून।